फर्द अहकाम

न्यायालय: न्यायालय सहायक कलेक्टर, जयपुर-I

मोहनलाल बनाम भंवरलाल

मुकदमा संख्या/वर्ष: दावा 187/2022/20

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	29/5/24.	पत्रावली पेश हुयी अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली मय दस्तावेजात के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया है कि वादी ने उक्त वाद बाबत घोषणा अधिकार, स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा-88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पेश किया है। वादी द्वारा उक्त वाद के चरण सं.-② में उल्लेखित किया गया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण (लगा० 8 की संयुक्त परिवार की अविभाजित पैतृक कृषि भूमि खसरा नम्बर 403 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 409 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 4[illegible] रकबा [illegible] बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 413 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 414 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.18 16:42:56 IST
Reason: Self Attested

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलेक्टर, जयपुर प्रथम

मोहनलाल बनाम भंवरलाल

मुकदमा संख्या/वर्ष 187/2022 : /20

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	29/5/24	कुल किता 5 कुल रकबा 37 बीघा 16 बिस्वा, ग्राम निवारू, पटवार क्षेत्र निवारू, जिला-जयपुर होने के कारण वादी के हित व अधिकार जन्म से ही समाहित है। वादी ने यह वाद, संयुक्त परिवार की भूमि में से अपने पिता/प्रतिवादी सं-1 से विरासत के आधार पर अर्जित एवं विद्यमान अधिकारों की घोषणा के लिए पेश किया है। पत्रावली में संलग्न रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं. 1 की मृत्यु हो चुकी है। प्रतिवादी सं. 1 की मृत्यु के उपरान्त पैतृक सम्पत्ति अन्तरण के आधार पर विरासत का नामान्तकरण प्रतिवादी सं-1 के विधिक वारिसान

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.18 16:42:56 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

सहायक कलेक्टर जयपुर प्रथम

लय मोहनलाल बनाम भंवर लाल

बनाम

दावा

मा संख्या/वर्ष 187/2022. : /20

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
29-5-24	के नाम खोला जा चुका है। जिसका इन्द्राज जमाबन्दी में भी दर्ज हो गया है। अतः वादी द्वारा जो घोषणा का अनुतोष अपने पिता/प्रतिवादी संख्या -① से चाहा गया है, वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर वादी, विवादित पैतृक सम्पत्ति में अपने हिस्से का खातेदार घोषित हो चुका है। वर्तमान में उक्त वाद को चलाए रखने का कोई वाद-कारण भी शेष नहीं बचा है। ऐसी स्थिति में वाद-कारण के अभाव में वाद औचित्यहीन होने पर एवं वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष प्राप्त हो जाने पर वादी का वाद सारहीन हो	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.18 16:42:56 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

न्यायालय ~~सहायक कलेक्टर, जयपुर-I~~

मोहनलाल बनाम भंवरलाल

मुकदमा संख्या / वर्ष 187/2022 : ______ / 20

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	29.5.23	गया है। इसलिए सारहीन (Infructuous) होने के कारण पोषणीय नहीं होने से वादी का वाद खारिज ~~जाता~~ किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 29/5/23 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Sarita Sharma
Date: 2024.06.18 16:42:56 IST
Reason: SelfAttested